

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

कार्यालय आदेश

12.05.2026

का0आ0सं0-प्र01/यौन उत्पीड़न/विविध-21/2013- 23 /पटना, दिनांक:-

महिला विकास निगम, बिहार के पत्रांक-WCDC-531/22 दिनांक-29.03.2022 के आलोक में ऊर्जा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-17 सह-पठित-ज्ञापांक-1212 दिनांक-30.03.2022 द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित विभागीय आंतरिक समिति के अध्यक्ष श्रीमती मीना कुमारी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके स्थान पर श्रीमती सुधा गुप्ता, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, उक्त समिति की विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	यौन उत्पीड़न समिति में पदनाम
1.	श्रीमती सुधा गुप्ता	संयुक्त सचिव,	पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष
2.	श्री कृष्ण कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी-5	सदस्य
3.	सुश्री खुशबु कुमारी	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य
5.	सुश्री वीणा कुमारी	आशुलिपिक	सदस्य
6.	श्रीमती स्मिता पराशर	संयुक्त सचिव, महिला जागरण एवं बाल कल्याण संस्थान, पटना	बाह्य सदस्य (महिला)

- समिति गठन संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।
- उक्त पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राज किशोर लाल),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-प्र01/यौन उत्पीड़न/विविध-21/2013- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्वद-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-प्र01/यौन उत्पीड़न/विविध-21/2013- 2448 पटना, दिनांक:- 12.05.2026

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती सुधा गुप्ता, संयुक्त सचिव/श्री कृष्ण कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी-5/सुश्री खुशबु कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सुश्री वीणा कुमारी, आशुलिपिक/श्रीमती स्मिता पराशर, संयुक्त सचिव, महिला जागरण एवं बाल कल्याण संस्थान, पटना एवं आई०डी० प्रबंधक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/26

सरकार के उप सचिव।